

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

—:: अधिसूचना ::—

संख्या—..... 649 /स्व०श०

राँची, दिनांक : 11-09-2025

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-109 (प) सह पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन झारखण्ड राज्य के भू-अर्जन से प्रभावित/विस्थापित परिवारों के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराने के निमित्त झारखण्ड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग (गठन, कार्य एवं दायित्व) नियमावली, 2025 गठित करते हैं, जो निम्नवत् है :-

झारखण्ड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग

(गठन, कार्य एवं दायित्व)

नियमावली, 2025

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

- (i) यह नियमावली “झारखण्ड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग (गठन, कार्य एवं दायित्व) नियमावली, 2025” कही जाएगी।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ :-

इस नियमावली में जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो:-

- (i) “नियमावली” से अभिप्रेत है “झारखण्ड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास (गठन, कार्य एवं दायित्व) नियमावली, 2025”।
- (ii) “विस्थापन” से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य अंतर्गत किसी परियोजना/उपक्रम/उद्योग/अन्य लोक परिसम्पत्ति निर्माण आदि के लिए अर्जित भूमि के कारण विस्थापित व्यक्ति/परिवार/समुदाय।
- (iii) “आयोग” से अभिप्रेत है, नियमावली के अंतर्गत विस्थापितों के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के लिए गठित झारखण्ड राज्य विस्थापन एवं

B/W ✓

पुनर्वास आयोग।

- (iv) “सदस्य” से अभिप्रेत है, अध्यक्ष सहित आयोग का कोई सदस्य।
 - (v) “विहित” से अभिप्रेत है, इस नियमावली द्वारा विहित।
 - (vi) “लोकसेवक” से अभिप्रेत है, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-2 (28) में यथापरिभाषित।
3. उद्देश्य :-
- (i) भू-अर्जन के फलस्वरूप विस्थापित व्यक्ति/परिवार/समुदायों का सामाजिक-आर्थिक अध्ययन/सर्वेक्षण करना।
 - (ii) सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े (Vulnerable) व्यक्ति/परिवार/समुदाय एवं क्षेत्रों की पहचान करना एवं इनके पुनर्वास हेतु सुझाव देना।
 - (iii) अनुसंधान एवं योजना बनाने के लिए सरकारी संस्थाओं को ऑकड़े (Data) उपलब्ध कराना।
 - (iv) विस्थापन एवं पुनर्वासन के दौरान अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु सरकारी संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना।
 - (v) सरकार को पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उन्मुखीकरण हेतु सुझाव देना ताकि विस्थापितों को बेहतर पुनर्वास एवं मुआवजा भुगतान किया जा सके।
 - (vi) विस्थापित परिवार के अधिकार एवं उनके हितों की रक्षा करना।

अध्याय-2

4. विस्थापितों के लिए झारखण्ड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन:-
- (i) राज्य सरकार नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सौंपे गये कृत्यों के निष्पादन हेतु झारखण्ड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन तीन वर्षों के लिए करेगी।
 - (ii) आयोग में निम्नलिखित सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे : -
 - (a) अध्यक्ष - i. ऐसे व्यक्ति जिन्हें सामुदायिक विकास कार्यक्रमों/विस्थापन एवं पुनर्वास के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षों का कार्य अनुभव हो।
 - (b) दो सदस्य - i. प्रशासनिक अनुभव रखनेवाले संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी, जो संबंधित क्षेत्र में सरकारी कार्य का अनुभव रखता हो।
 - ii. सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

अथवा

अधिवक्ता जो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 40 वर्ष हो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (LLB) डिग्री धारी हो, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन निबंधित हो तथा बार कॉउन्सिल के अधीन न्यूनतम 10 (दस) वर्ष का कार्यानुभव हो।

- (c) आमंत्रित सदस्य—आयोग यदि आवश्यक समझे तो अधिकतम 03 आमंत्रित सदस्य के रूप में जिसमें स्थानीय पुरुष/महिला (SC/ST/OBC) को नामित किया जा सकेगा, जो अवैतनिक होंगे।
 - (d) संबंधित/पुनर्वास प्रभावित जिला के उपायुक्त, जिला परिषद अध्यक्ष, पुनर्वास प्रभावित प्रखण्डों के प्रखण्ड प्रमुख एवं सामाजिक पारम्परिक ग्राम प्रधान, मानकी तथा मुण्डा (जो भी लागू हो) सदस्य होंगे।
 - (e) सदस्य सचिव – सरकार के उप सचिव/उप निदेशक से अन्यून स्तर के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी जिसे विस्थापन, भू—अर्जन अधिनियम की जानकारी हो।
5. अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल एवं सेवा शर्तें :-

- (i) आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य का कार्यकाल अधिकतम 03 वर्षों का होगा।
- (ii) आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य एक माह की पूर्व सूचना देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जो कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत होने की तिथि से प्रभावी होगा।
- (iii) राज्य सरकार अध्यक्ष अथवा किसी भी सदस्य को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए पद विमुक्त कर सकती है यदि वह व्यक्ति अनुन्पोषित दिवालिया हो गया हो या नैतिक भ्रष्टता से संबंधित किसी अपराध में दोष सिद्ध हुआ हो या कार्य करने में मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अक्षम हो गया हो या पद की प्रतिष्ठा को कलंकित करने वाले किसी कृत्य में शामिल रहा हो या उसका उस पद पर बने रहना जनहित में ना हो।
- (iv) उक्त रिक्ति नये मनोनयन से भरी जायेगी।
- (v) अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जैसा कि इस नियमावली अन्तर्गत नियम 12 (ii)(a) के अधीन निर्मित विनियमावली में विहित किया जायेगा।

6. आयोग के पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी :-

- (i) राज्य सरकार आयोग के कार्यकलापों के प्रभावशाली निष्पादन के लिये वैसे पदाधिकारियों तथा कर्मियों, जो आवश्यक हो, की सेवाएँ आयोग को उपलब्ध कराएगी।
- (ii) आयोग को देय भत्ते एवं वाहन आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन देय होगा।
- (iii) आयोग के लिए कार्यालय एवं संबंधित व्यय की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

7. आयोग द्वारा विनियमित की जानेवाली प्रक्रिया :-

- (i) आयोग की बैठक आवश्यकतानुसार ऐसे समय तथा स्थान पर होगी, जैसा कि अध्यक्ष उचित समझें।
- (ii) आयोग अपनी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा।
- (iii) आयोग के आदेश/निर्णय/सुझाव सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर उपरान्त निर्गत किए जाएंगे।

अध्याय-3

8. आयोग के कार्य/दायित्व :-

- (i) राज्य के अंतर्गत किसी भी परियोजना हेतु अर्जित भूमि के कारण विस्थापित हुए व्यक्ति/परिवार/समुदाय का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाना तथा पुनर्वास हेतु समुचित सुझाव देना जिसके तहत निमांकित कार्य किये जायेंगे –
 - (क) विस्थापित परिवार के अधिकार एवं उनके हितों की रक्षा।
 - (ख) विस्थापित परिवार के व्यक्तियों को रोजगार एवं आय संबंधी सूचना का संग्रहण।
 - (ग) विस्थापित परिवार के आवासन एवं जीवन स्तर का आकलन।
 - (घ) विस्थापित परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य एवं दिव्यांगता संबंधी आंकड़ों का संग्रहण।
 - (ङ) विस्थापित परिवार के सदस्यों के शिक्षा एवं साक्षरता की स्थिति का आकलन।

- (च) विस्थापित परिवार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि संबंधी सूचना का संग्रहण।
- (छ) विस्थापित परिवार को प्रदत्त सेवाओं (Services) एवं सुविधाओं (Amenities) यथा—जल आपूर्ति, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति आदि की स्थिति का आकलन करना इत्यादि।
- (ii) आयोग की बैठक नियमित अंतराल पर की जाएगी।
- (iii) यथा आवश्यक विस्थापितों का सामाजिक — आर्थिक सर्वेक्षण कर अपना सुझाव सरकार को देना।
- (iv) समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य एवं दायित्व।
- (v) सामाजिक—आर्थिक सर्वेक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अन्य बिन्दुओं जिन्हें सर्वेक्षण में शामिल किया जाना आयोग को उचित/आवश्यक प्रतीत होता हो, उन बिन्दुओं पर विचारण/सर्वेक्षण आयोग द्वारा किया जाएगा। आयोग सर्वेक्षण विधि, आँकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण एवं प्रतिवेदन तैयार करने हेतु विधि/प्रक्रिया स्वयं निर्धारित कर सकेगा।

अध्याय—4

वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण

9. राज्य सरकार द्वारा अनुदान :-

- (i) राज्य सरकार अनुदान के रूप में आयोग को उतनी राशि देगी जितनी वह इस नियमावली से प्रवृत्त कार्य/दायित्व निर्वहन हेतु उपयोग करने के लिए उचित समझे।
- (ii) आयोग इस नियमावली के अधीन सौंपे गये कार्यों के निष्पादन के लिए अनुमोदित राशि खर्च कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे और उपरोक्त राशि के व्यय से संबंधित लेखा का संधारण नियम—10 (i) के आलोक में सरकार द्वारा निर्धारित मांग पत्र/प्रपत्र के अनुरूप किया जायेगा।
- (iii) राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित वित्तीय प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

10. लेखा तथा अंकेक्षण :-

- (i) आयोग द्वारा सरकार के वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप लेखा का संधारण किया जायेगा।
- (ii) आयोग के लेखा का अंकेक्षण महालेखाकार, झारखण्ड द्वारा, ऐसे अंतराल जो उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, पर किया जाएगा तथा ऐसे अंकेक्षण में हुआ कोई व्यय आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।
- (iii) आयोग के लेखा के अंकेक्षण के संदर्भ में महालेखाकार तथा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार रहेंगे जो महालेखाकार, झारखण्ड को सामान्यतः सरकारी लेखा के अंकेक्षण के क्रम में प्राप्त है।

11. वार्षिक प्रतिवेदन :-

आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अद्यतन प्रपत्र में तथा ऐसे समय पर, जो विहित किया जाय, अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा, जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों की पूरी विवरणी रहेगी। इसकी एक प्रति राज्य सरकार को अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जाएगी।

अध्याय-5

प्रकीर्ण

12. नियमावली बनाने की शक्ति :-

- (i) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन द्वारा इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए विनियम बना सकेगी।
- (ii) राज्य सरकार विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल असर डाले बिना ऐसी विनियमावली बनाकर निम्नलिखित सभी या किसी मामले के संबंध में उपबंध कर सकेगी, यथा:-
- (a) अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें तथा बंधेज।
- (b) वह प्रपत्र तथा समय जिसमें वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा।
- (c) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसके होने की अपेक्षा हो या जो विहित किया गया हो।

(d) कार्य एवं दायित्व का निर्धारण।

13. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति :-

यदि इस नियमावली के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अपने आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस नियमावली के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

14. लोकसेवक :-

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-2(28) में यथा परिभाषित लोक सेवक समझे जायेंगे।

15. आयोग द्वारा दिये गये सुझाव राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होंगे।

16. नियंत्रण :-

झारखण्ड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(Signature)
(चन्द्रशेखर)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-08ए०/भू०अ०नि० (विस्थापन आयोग)-52 / 2024 *648/11/2025*, राँची, दिनांक-*11-09-2025*

प्रतिलिपि :- माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-08ए०/भू०अ०नि० (विस्थापन आयोग)-52 / 2024 *648/11/2025*, राँची, दिनांक-*11-09-2025*

प्रतिलिपि :- सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त/अपर समाहर्ता/उप समाहर्ता, भूमि सुधार/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—०८ए०/भू०अ०नि० (विस्थापन आयोग)–५२/२०२४..... ६४८/झराँची, दिनांक—११-०९-२०२५

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में मुद्रण हेतु प्रेषित।

२. नोडल पदाधिकारी, ई—गजट, राजरख निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Bhaw
11/11/25

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—०८ए०/भू०अ०नि० (विस्थापन आयोग)–५२/२०२४..... ६४८/झराँची, दिनांक—११-०९-२०२५

प्रतिलिपि :— महालेखाकार, झारखण्ड पो०—हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Bhaw
11/11/25

सरकार के सचिव।